



(☎022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
22824354



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION



अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,

मुंबई/ Mumbai - 400 001.

Ref: 201/1/2021/IR&W/ 4883

अप्रैल April 13, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के संबंध में सीपीएपी/ बीआईपीएपी ऑक्सीजन कॅन्सेंट्रेटर की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम दरों में संशोधन के संबंध में ।

Sub Revision of ceiling rates for reimbursement of the cost of CPAP/BIPAP Oxygen concentrator in respect of CHSS-reg.

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दि. 21.02.2019 के का.जा. सं. 7/3/2017/IR&W (Vol.II)/2487 के संबंध में सीपीएपी/ बीआईपीएपी ऑक्सीजन कॅन्सेंट्रेटर की खरीद के प्रावधान एवं ऐसी मशीनों की लागत की प्रतिपूर्ति का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II)/2487 dated 21.02.2019 for provision to purchase of CPAP/BIPAP/Oxygen concentrator and reimbursement of the cost of such machines.

2. इस संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दि. 03.06.2019 के का.जा.सं.1-19/2018/CGHS(HQ)/R&H/EHS के तहत सीजीएचएस के अंतर्गत सीपीएपी/बीआईपीएपी/ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की लागत की प्रतिपूर्ति की अधिकतम दरों को संशोधित किया गया है और दि. 27.05.2021 के का.जा.सं. 14025/55/2019-EHS के तहत सीएस(एमए) लाभार्थियों द्वारा सीपीएपी/बीआईपीएपी ऑक्सीजन कॅन्सेंट्रेटर क्रय करने की अनुमति के लिए दिशा-निर्देश संशोधित करते हुए सीएस(एमए) लाभार्थियों को ऐसी मशीनों की लागत की प्रतिपूर्ति को विनियमित किया गया ।

In this regard, Ministry of Health & Family Welfare vide OM No. 1-19/2018/CGHS(HQ)/R&H/EHS dated 03.06.2019 has revised the ceiling rates of reimbursement of the cost of CPAP/BIPAP/Oxygen Concentrator under CGHS & OM No. S. 14025/55/2019-EHS dated 27.05.2021, revised guidelines for permission to purchase Oxygen Concentrator/BIPAP/CPAP etc. by CS(MA) beneficiaries and regulating reimbursement of cost of such machines to the CS(MA) beneficiaries.

3. विभाग, सीजीएचएस के दरों के समतुल्य सीमा दरों एवं दिशा-निर्देश को अपनाता है। इसलिए, मामले की जांच विभाग में की गई और इस पर विभाग की सीएचएसएस पुनरीक्षा समिति में भी चर्चा की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर, दि. 03.06.2019 एवं 27.05.2021 के उपरोक्त का.जा. में सीजीएचएस के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

द्वारा उपलब्ध कराई गई दरों पर विचार करते हुए इस विभाग ने सीएचएसएस लाभार्थियों द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सीपीएपी/बीआईपीएपी के क्रय हेतु अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है और मशीन की लागत की प्रतिपूर्ति निम्न संशोधित दरों के अनुसार की जाएगी :

The Department follows ceiling rates and guidelines on par with CGHS rates. Therefore, the matter has been examined in the Department and also the same has been discussed in CHSS Review Committee in the Department. Based on the recommendations of the Committee, considering the rates provided by the Ministry of Health and Family Welfare for beneficiaries under CGHS vide above said OM dated 03.06.2019 & 27.05.2021, this Department has decided to grant permission to purchase Oxygen Concentrator/BIPAP/CIPAP, etc. by CHSS beneficiaries and reimbursement of the cost of the machine as per the revised rates given below:

(a)	Oxygen Concentrator	-	Rs. 45,000/-	+ GST
(b)	CPAP	-	Rs. 45,000/-	+ GST
(c)	BIPAP (earlier Bi-level CPAP)	-	Rs. 68,000/-	+ GST
(d)	Bi-level Ventilatory System	-	Rs. 1,05,000/-	+ GST

4. इस विभाग के दि. 21.02.2019 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

Other terms and conditions mentioned in this Department's OM dated 21.02.2019 shall remain unchanged.

5. यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा ।
This OM will be effective from the date of its issue.

6. इसे सक्षम प्राधिकारी की सहमति से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

(ई रवींद्रन E. Ravendiran)

निदेशक Director (आईआरएण्डडब्ल्यू IR&W)

सभी सीएचएसएस लागूकर्ता प्राधिकारियों/ इकाइयों के प्रमुख /इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान
All CHSS Administering Authorities / Heads of Units / Administrative Heads of Units:

- प्रतिलिपि Cc:
1. अध्यक्ष, आईसी एवं सचिव , पऊवि का कार्यालय
O/o Chairman AEC & Secretary, DAE
 2. संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं लेखा)O/o JS(A&A), DAE
 3. पऊवि, दर्पण DAE, Darpan.